न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :— **श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर ए एस**

प्रार्थना पत्र संख्या :— **76/2018**

उनवान

पूरण पुत्र घीसालाल, जाति बलाई, निवासी परमानपुरा, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर ।

वादी

बनाम

1. सीता देवी पत्नी मोतीलाल
2. सोमेश पुत्र मोतीलाल
3. उमेश पुत्र मोतीलाल
4. दीपशिखा पुत्री मोतीलाल
5. मेद्या पुत्री मोतीलाल
समस्त जातियान बलाई निवासी बिशनगढ, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर ।
6. राजस्थान सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार शाहपुरा, जिला जयपुर।
7. उपपंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् तकास्मा (बंटवारा) एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत दफा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955

निर्णय दिनांक 24.04.2019

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। ग्राम बिशनगढ तहसील शाहपुरा के आराजी संख्या 1114 रकबा 0.45 है0 भूमि स्थित है। जिसमें वादी का हिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायात 05 का हिस्सा 1/2 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी उक्त आराजी पर अपने अपने हिस्से में पुख्ता निर्माण तथा अपने अपने हिस्से पर काश्त कर रहे है। प्रतिवादीगण उक्त आराजी को बिना बंटवारा कराये विशिष्ठ भू–भाग जो कि बिशनगढ राड़ावास सड़क पर है को अजनबी को बेचान करने पर अमादा होने यह वाद पत्र पेश किया गया है। वादी के द्वारा वाद पत्र पेश किये जाने पर विधिवत दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 बावजूद सूचना (रजिस्ट्रर्ड नोटिस) के अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर दिनांक 23.01.2019 को दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त की गई।

तहसीलदार शाहपुरा से उनके पत्र क्रमांक भू.अ./2019/889 दिनांक 09.04.2019 के द्वारा बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील वादी की एक तरफा बहस सुनी गई। वकील वादी ने कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति होना जाहिर नहीं किया तथा दौराने बहस अन्तिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया। हमने पत्रावली तथा राजस्व रिकार्ड व बंटवारा कर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन

बनाम

1. सीता देवी पत्नी मोतीलाल
2. सोमेश पुत्र मोतीलाल
3. उमेश पुत्र मोतीलाल
4. दीपशिखा पुत्री मोतीलाल
5. मेघा पुत्री मोतीलाल
   समस्त जातियान बलाई निवासी बिशनगढ, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर ।
6. राजस्थान सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार शाहपुरा, जिला जयपुर।
7. उपपंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् तकास्मा (बंटवारा) एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत
दफा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955

निर्णय दिनांक 24.04.2019

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। ग्राम बिशनगढ तहसील शाहपुरा के आराजी संख्या 1114 रकबा 0.45 है0 भूमि स्थित है। जिसमें वादी का हिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायात 05 का हिस्सा 1/2 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी उक्त आराजी पर अपने अपने हिस्से में पुख्ता निर्माण तथा अपने अपने हिस्से पर काश्त कर रहे है। प्रतिवादीगण उक्त आराजी को बिना बंटवारा कराये विशिष्ठ भू–भाग जो कि बिशनगढ राड़ावास सड़क पर है को अजनबी को बेचान करने पर अमादा होने यह वाद पत्र पेश किया गया है। वादी के द्वारा वाद पत्र पेश किये जाने पर विधिवत दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 बावजूद सूचना (रजिस्ट्रर्ड नोटिस) के अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर दिनांक 23.01.2019 को दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त की गई।

तहसीलदार शाहपुरा से उनके पत्र क्रमांक भू.अ./2019/889 दिनांक 09.04.2019 के द्वारा बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील वादी की एक तरफा बहस सुनी गई। वकील वादी ने कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति होना जाहिर नहीं किया तथा दौराने बहस अन्तिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया। हमने पत्रावली तथा राजस्व रिकार्ड व बंटवारा कर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया। वादी/प्रतिवादीगण के दर्ज हिस्से अनुसार बंटवारा कर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होना पाया जाता है।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

अतः दावा मुताबिक तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वादी/प्रतिवादीगण के निम्नानुसार बंटवारा कर पृथक पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

1. वादी पूरण के हिस्से में ख.नं. 1114/1 रकबा 0.2250 है0 भूमि।

2. प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के हिस्से में ख.नं. 1114/2 रकबा 0.2250 है0 भूमि।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2019 को सरै इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर)

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर